भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Government of India Undertaking)

पारसकर टावर, पहली मंजील, विद्यानगर, अकोला– 444001 (महा.)

Paraskar Tower, 1st Floor, Vidya Nagar, Akola- 444001(Mh.)

Ph. No. 0724-2401183/85 Fax : 0724-2401184

E-mail : akola@cotcorp.com

CIN: U51490MH1970GOI 014733

संख्या : भाकनि/अकोला/विप(परिवहन)/2020–21 **दिनांक : 28.06.2021**

टेण्डर नोटिस

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय अकोला के अधीनस्थ केन्द्रों से विभिन्न भागों में रूई की गांठों के परिवहन एवं निर्यात हेतु परिवहन टेण्डर आमंत्रित करता है। टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के कार्यालय से दिनांक **02.07.2021 प्रातः 11.00** तक (टेण्डर अवधि **02.07.2021** से **31.08.2021** तक) प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक ट्रांसपोर्टर जिनकी **20.00** लाख रुपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी कार्यालय में जमा है या जमा कराना चाहते है, निर्धारित फार्म पर टेण्डर दिनांक **02.07.2021 को दोपहर 3.30 बजे** तक बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। टेण्डर उसी दिन **02.07.2021 को सायं 4.00 बजे** उपस्थित ट्रांसपोर्टरों के समक्ष खोले जायेंगे व निगम किसी भी टेण्डर को आंशिक/पूर्ण रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबध में निविदाकर्ता निगम से निविदा अस्वीकार एवं निरस्त करने का कारण पूछ सकता है ।

निविदा संबंधी टेण्डर फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारे वेबसाईट (www.cotcorp.org.in) एवं (www.eprocure.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

महाप्रबंधक

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पारस्कर टावर्स, विद्या नगर
अकोला–444001

दूरभाष नंबर 0724-2401183 टैलीफैक्स 0724-2401184

टेण्डर फार्म नंबर : .....
टेण्डर फार्म जारी करने की दिनांक : .....
टेण्डर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 02.07.2021 दोपहर 3.30 बजे
टेण्डर खोलने की दिनांक : 02.07.2021 सायं 4.00 बजे

रुई की गांठो के परिवहन कार्य का फार्म (वर्ष 2020-21) अवधि 02.07.2021 से 31.08.2021 तक

1. ट्रांसपोर्टर का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर : .....

2. ट्रांसपोर्टर के साझेदारों का नाम : .....

3. अकोला प्रतिनिधि ट्रांसपोर्टर का नाम : .....

4. अकोला प्रतिनिधि ट्रांसपोर्टर का पता व टेलीफोन नंबर : .....

5. बैंक का नाम व गारंटी संख्या : .....

6. बैंक गारंटी की वैधता दिनांक : .....

7. स्थाई पता व फोन नंबर : .....

8. PAN नंबर (फोटोप्रति फार्म के साथ संलग्न करें): .....

9. स्वयं के ट्रको की संख्या तथा अनुबंधित ट्रकों की संख्या : .....

10 GST नंबर (फोटोप्रति फार्म के साथ संलग्न करें) : .....

11. क्या कान्ट्रेक्टर के पास 10 ट्रकों से ज्यादा है तो Goods carriages (Pease Tick) : (Yes / No)
(If no than submit a declaration as attached with
tender as Annexure - 1 on his letter head) : .....

हस्ताक्षर मय पदनाम व स्टैम्प के साथ

दिनांक : .....

स्थान : .....

(To be given on the printed letter head of the transporter)

Declaration under Section 194C (6) for Non-deduction of Tax at Source

To,
M/s. The Cotton Corporation of India Ltd.
B.O. _____

Declaration

I , Mr. _____ (Proprietor/ Partner/Director) of M/s. _____ _____, _____ (Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the Income Tax Act, 1961 for receiving payments from the payer without deduction of tax at source.

1. That I /We am/are authorized to make this declaration in the capacity as Proprietor /Partner/Director.

2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.

3. That the contractor does not own more than ten goods carriage as on date.

4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the previous year 2019-20, the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.

5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____. A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.

6. GST NO. _____.

7. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed form of declaration as notified by the Income tax department.

Place :
Dated : Declarant

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my own knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :
Dated : Name of the Declarant and Signature

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
अकोला (महाराष्ट्र)
रूई की गांठें प्रेषित करनें एवं टेण्डर भरनें के लिए शर्तें।

1) सभी गांठें ट्रांसपोर्टरों को सडक परिवहन द्वारा ही भेजनीं पडेंगी, गांठें किसी भी कारणवश सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती। इसके लिए ट्रांसपोर्टर को अपनी न्यूनतम दर प्रति गांठ के हिसाब से देनीं पडेगी। ट्रांसपोर्टर द्वारा दी गयी प्रति गांठ दर में लोडिंग/अनलोडिंग व गोदाम में गांठें स्टेकिंग/डी स्टेकिंग तक के खर्चे शामिल होंगे। ट्रांसपोर्टर द्वारा टेण्डर में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जाएगी और निगम इस टेण्डर की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढाए जानें पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पैट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जे के रेट बढानें या कोई अन्य टैक्स पर जिम्मेवार नहीं होगा। उस हालत में भी ट्रांसपोर्टर उन्हीं दरों पर काम करनें के लिए बाध्य होगा। अतः टेण्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश बदली नहीं कि जा सकती।
2) गांठें द्वार प्राप्ति (डोर डिलिवरी) के आधार पर बुक की जायेंगी। दिए गए केन्द्रों से गांठें उठाकर गन्तव्य स्थान का पता जो भी हो पर गांठें सुरक्षित पहुंचानी होगी। यदि गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर गांठों की डिलिवरी देनें का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 किलोमीटर तक के डाईवर्जन के लिए ट्रांसपोर्टर को कोई भी डाईवर्जन चार्ज नहीं दिया जाएगा।
3) गांठें गन्तव्य स्थान पर ट्रक के पहुंचनें की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई (अनलोडिंग) जाएंगी। जो ट्रक पहले पहुंचेगा उसको पहले खाली किया जाएगा। ऐसी हालत में यदि ट्रकों की लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई डिटेंसन चार्ज नहीं दिया जाएगा।
4) डी.ओ. जारी होनें के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त गांठें भिजवानें की व्यवस्था करनीं होगी तथा गांठों के डिस्पेच के पश्चात ट्रांसपोर्टर को जी.आर. नम्बर व गांठों का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय अकोला को सूचित करना होगा।
5) गांठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर गांठों की पुरी निगरानी रखेगा व सम्भालेगा, परिवहन के दौरान गांठें त्रिपाल से अवश्य ढकी होनीं चाहिए। किसी भी कारणवष परिवहन के दौरान गांठों को होनें वाली हानि के लिए ट्रांसपोर्टर स्वंयं जिम्मेदार होगा।
6) ट्रकों की हालत अच्छी होनीं चाहिए, अगर ट्रक में पहले से कोयला या अन्य रासायनिक पदार्थ लगा हो तो ट्रक को पूरी तरह से साफ करवाकर ही गांठें लोड की जाए।
7) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेन्ट (विवरणी) भेजना अनिवार्य होगा जिसमें गांठों का लॉट नम्बर, गांठों की संख्या, लॉरी रसीद नम्बर, डिस्पेच की तिथी तथा स्थान जहां गांठें भेजी गई हो उसका स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
8) गांठों की निकासी डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से 3 दिन के अन्दर सम्बधित केन्द्र से करवाकर निम्नानुसार गन्तव्य स्थान पर पहुचानीं होगी अन्यथा 2 रूपये प्रति गांठ, प्रति दिन की पैनल्टी ट्रांसपोर्टर के बिल से काटी जाएगी।

डी.ओ. प्राप्ति	500 गांठो तक डी.ओ. प्राप्ति दिनांक से	500 से अधिक गांठो तक डी.ओ. प्राप्ति दिनांक से
* महाराष्ट्र के लिए	5 दिन अधिकतम	7 दिन अधिकतम
* अन्य जगहो के लिए	8 दिन अधिकतम	10 दिन अधिकतम

(रविवार और छुट्टी का दिन छोडकर)

9) दरें 02.07.2021 से 31.08.2021 तक कि अवधि के लिए मान्य होंगी।
10) सीलबन्द टेण्डर एक बन्द लिफाफे में निगम के पते पर भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से ट्रांसपोर्टर का नाम व रूई की गांठों के परिवहन हेतु टेण्डर लिखा होना अनिवार्य है।
11) यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्युनतम दरें प्रस्तुत करते हैं तो टेण्डर कमेटी को पूर्ण अधिकार होगा की वह किस ट्रांसपोर्टर को कार्य दें।

12) निगम किसी भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसका कोई भाग को आंषिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करनें का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबध में निविदाकर्ता निगम से निविदा अस्वीकार एवं निरस्त करने का कारण पूछ सकता है ।

13 यदि निविदाकर्ता निविदा की किसी भी शर्तों और/या निविदा की प्रक्रिया के बारे में शाखा कार्यालय से जानकारी चाहे तो मांग सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई निविदा अस्वीकृत की जाती है या निविदा दस्तावेज, सम्बधित निविदाकर्ता को नहीं दिया जाता है तो निविदाकर्ता निविदा को अस्वीकृत करनें सम्बधी कारण शाखा कार्यालय से मांग सकता है।

14) टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई विवाद, शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम के सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा की उसका क्या निर्णय लिया जाए ऐसी हालत में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। किसी प्रकार के कानूनी विवाद के निपटारे के लिए अधिकार क्षेत्र न्यायालय अकोला होगा।

15) गांठें लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी जी.आर. के आधार पर सुपुर्द की जानीं चाहिए यातायात के दौरान किसी भी लॉट में अन्य लॉट की गांठों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। गांठें सामान्य तौर लदान होनें के पष्चात सीधे ही गन्तव्य स्थान पर पहुंचानी अनिवार्य होगी। गांठों को एक बिन्दु से दुसरे बिन्दु के बीच में किसी ट्रांसषिपमेन्ट के बगैर प्रेषण करना होगा। किसी कारणवष सम्भव ना हो तो एक से ज्यादा ट्रांसषिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी।

16) एक ट्रक में सामान्यतः एक ही लॉट की गांठे लोड की जायेंगी। यदि संभव न हो तो दो लॉट से ज्यादा एक ट्रक में मिक्स नही की जायेगी। यदि दो से अधिक लॉट्स की गांठे मिक्स पाई गई तो 20/– रु. प्रति गांठ के हिसाब से दण्ड लगेगा।

17) निर्यात या अन्य किसी कारण से यदि गांठे टू बी बिल्ड के आधार पर भेजी जाती है तो टू बी बिल्ड जाने वाली गांठो का भुगतान बिल प्रेषित के 15 दिन के अंदर किया जायेगा। चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रांसपोर्टरों को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा। निर्यात हेतु भेजी जानेवाली गांठो पर चुंगी नही लगेगी। इस संबंध में आवश्यक प्रोफार्मा सामान्य तौर पर उपलब्ध करा दिये जाते है पर यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी कि आवश्यक फार्म खुद भरें तथा साथ में ले जाये।

18) टेण्डर भरनें वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा उपरोक्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ लेनी चाहिए । एक बार टेण्डर भरनें के बाद यह माना जाऐगा की ट्रांसपोर्टर नें इस फार्म में दी गई सभी शर्तें ध्यान से पढ ली है व इन शर्तो का मानते हुए कार्य करनें लिए तैयार व बाध्य हैं। ट्रांसपोर्टर द्वारा टेण्डर में अलग से यदि कोई अपनी शर्त दी जाती है तो निगम को वह शर्त किसी भी हालत में मान्य नहीं होगी।

19) यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रीलिमिनरी सर्वे कराये बिना वहॉ से ट्रक तथा सॉल्वेज को ना हटाया जाए। क्षति सम्बधी आवष्यक प्रमाण पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय को तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी।

20) ट्रासपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिल्टी/ जी.आर. प्रस्तुत करनें पर ही भुगतान किया जाएगा (जी.आर. की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी)

21) केवल बैंक गारेन्टेड ट्रांसपोर्टरों से शाखा कार्यालय क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानो पर गांठो को पंहुचाने के लिए टू पे/टू बी बिल्ड टेण्डर मांगे जाते है।

22) बैंक गारेन्टेड ट्रांसपोर्टरों वे ही माने जायेंगे जिन्होने निगम के किसी भी कार्यालय में रु. 20.00 लाख की बैंक गारन्टी दी हुई है। टेण्डर फाईनल करते समय ट्रांसपोर्टर को निगम के उस कार्यालय का पत्र व बैंक गारन्टी की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

23) ट्रांसपोर्टर अपना कार्यालय अकोला में रखने की व्यवस्था करेगा, जंहा उसे डी.ओ. सौपने की सूचना दी जा सके। टेण्डर भरनेवाले ट्रांसपोर्टरों की दिनांक **31.08.2021** तक की बैंक गारन्टी विधिमान्य (valid) होनी चाहिए। यदि किसी ट्रांसपोर्टर की बैंक गारन्टी अवधि बीच में समाप्त होती है तो

उसका नवीनीकरण करवाकर निगम के पास पुनः एक सप्ताह में जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हे आबंटित किया गया कार्य निरस्त किया जा सकता है।

24) बिलों से टी.डी.एस., सरचार्ज नियमानुसार काटा जाएगा।

25) परिवहन दरों में GST को छोड़कर दरें दी जानी चाहिए जिसमें अन्य टैक्स शामिल हों तथा GST रजिस्ट्रेशन एवं पैन नंबर की फोटोकॉपी भी निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए ।

26) किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायगा और उसका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेषन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

27) टेण्डर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के संबंध में ट्रांस्पोर्टर द्वारा अपने लैटर पैड पर संलग्न प्रोफार्मा अनुसार आथोरिटी पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28) जिन परिवहनकर्ताओ की निविदाये निगम द्वारा स्वीकृत की जायेगी उनको निगम के साथ 500/– रु. के स्टैम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा तथा Authorized Signatory का नाम भी सूचित करना होगा। परिवहन कार्य, परिवहनकर्ताओ द्वारा कथित अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही आंबंटित किया जायेगा।

29) ट्रांसपोर्टर द्वारा यदी निर्धारित अवधि में गांठे नही उठायी जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य ट्रांसपोर्टर से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल ट्रांसपोर्टर से की जायेगी।

30) टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने टेण्डर संबंधी सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ ली है व उनका पालन करने के लिए बाध्य है। ट्रांसपोर्टर टेण्डर संबंधी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टाम्प के टेण्डर फार्म के साथ लौटाये।

31) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

32) कार्य कि आवश्यकता के अनुसार न्युनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

33) कर में छूट का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

34) यदि एक ही लॉट की गांठे दो अलग अलग तिथियों में पंहुचती है तो बाद में पंहुची गांठों की तिथि ही पूरे लॉट के लिए मानी जायेगी।

35) 1 जून 2015 के बाद किसी भी परिवहन कर्ता के पास 10 गुडस कैरियर तक है तो उससे टी.डी.एस. की कटौती नहीं की जायेगी जिसके लिये परिवहन कर्ता को सलंग्न किये गये निर्धारित प्रारूप को स्वयं के लेटर हैड पर लिखकर देना अनिवार्य है, अगर 10 से उपर गुडस कैरियर है तो उससे टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी। यदि सलंग्न प्रारूप में नहीं देते है तो टी.डी.एस. कटौती की जायेगी यदि आपके द्वारा डिक्लेरेशन प्रारूप में देनें पर किसी भी प्रकार की आयकर विभाग से वसूली आती है तो आपके अमानत राशी से कटौती की जायेगी।

36) निगम टेन्डर की अवधि दिनांक 33.08.2021 के पश्चात् भी प्राप्त दरों को अगले 6 माह तक के लिए मान्य करने एवं आगे बढ़ाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

मैंने निगम की शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मान्य हैं ।

हस्ताक्षर.....

ट्रांस्पोर्टर का नाम .....

.....

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र)

विभिन्न केन्द्रो से निम्न स्थलो में भेजी जाने वाली गांठों के लिए परिवहन निविदा फार्म

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गंतव्य स्थान	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ	दर प्रतिगांठ
	अकोला जिले के सभी केन्द्र से	बुलढाना जिले के सभी केन्द्र से	अमरावती जिले के सभी केन्द्र से	वर्धा जिले के सभी केन्द्र से	यवतमाल जिले के सभी केन्द्र से	नागपुर जिले के सभी केन्द्र से	वाषिम जिले के सभी केन्द्र से	चन्द्रपुर जिले के सभी केन्द्र से
	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed	To be Billed
Khadi & V.I. Commission, 19-A Aruna Nagar, Etah – 207 001								
Khadi & V.I. Commission Industrial Area, Hajipur, Dist-Vaishali-844 101								
Khadi & V.I. Commission, Ichchawar Road, Sehore -466 001								
Khadi & V.I. Commission, Plot No. C-14, Road No. 2 Amawan Road, Industrial Area, Rai-bareilly – 229 001								
P.B. No. 81, Plot No.09,10 & 11, Kelagote Industrial Area, Chitradurga – 577 501								
Khadi & V.I. Commission, P.O. Kuttur, Trichur-680 013								

1. मैंने निगम की संलग्न नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं और मान्य है।
2. परिवहन दरों में लोडिंग/अनलोडिंग शामिल है ।

ट्रांस्पोर्टर का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

.....

स्थान : .....

दिनांक : .....

****